जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 02.04.2024**

प्रेस विज्ञप्ति

लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अभियुक्तगण 1.शराफत पुत्र यामीन 2.तौहिद पुत्र असलूब 3.जावेद पुत्र अय्यूब निवासीगण ग्राम भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली व 4.अफजाल पुत्र जरीफ 5. फैजान पुत्र जरीफ निवासीगण ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट शामली के आदेश के अनुपालन में 03 माह के लिये जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण उपरोक्त को 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर किया गया है।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 02.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सलमान पुत्र साजिद निवासी ग्राम हाजीपुर दुग्गडा थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री शाहआलम थाना कैराना जनपद शामली।
2.है0का0 अनुज थाना कैराना जनपद शामली।
3.का0 विपिन थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस व एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 350 ग्राम चरस व तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 02.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस व एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 350 ग्राम चरस व तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1.ताबिश पुत्र मतलूब निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली।

2.नदीम पुत्र गय्यूर निवासी मौहल्ला इस्लामनगर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध चरस 350 ग्राम।

2.तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0नं0 HR06J3228।

गिरफ्तार करने वाला पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री कुलदीप एसओजी टीम जनपद शामली।

3.हे0का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 रोहित थाना एसओजी टीम जनपद शामली।

5.का0 सादाब थाना एसओजी टीम जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 02.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 96 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सारिफ पुत्र समीम निवासी ग्राम अलीपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 96 पव्वे देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री मुकेश दिनकर थाना कांधला जनपद शामली।
2.है0का0 मोनू सागर थाना कांधला जनपद शामली।
3.है0का0 सुशील कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
4.है0का0 प्रवीण कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गोकशी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 1997 में अभियुक्त 1.देवेन्द्र पुत्र रामकिशन निवासी मौहल्ला शेखूपुरा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 421/1997 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि (18.12.1997 से 24.12.1997) तक के कारावास की सजा व 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.देवेन्द्र पुत्र रामकिशन निवासी मौहल्ला शेखूपुरा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अवैध हथियार के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2007 में अभियुक्त 1.सरताज पुत्र सत्तार निवासी मौहल्ला कलन्दरशाह कस्बा व थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 01/2007 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि (01.01.2007 से 27.01.2007) तक के कारावास की सजा व 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1. सरताज पुत्र सत्तार निवासी मौहल्ला कलन्दरशाह कस्बा व थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 75,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।</u>

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त सोनू उर्फ मुनव्वर पुत्र रूकमदीन निवासी मौहल्ला आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली द्वारा थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में पीडिता द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। **जिसके क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL पोक्सो कोर्ट कैराना शामली द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ मुनव्वर उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 25,000/- रुपये अर्थदंड,** अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, **धारा 328 भादवि में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रुपये अर्थदंड,** अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 406 भादवि में 03 वर्ष के कारावास की सजा व 5000/-रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, **धारा 323/506 भादवि में 01-01 वर्ष के कारावास की सजा**, धारा 67 IT ACT **में 03 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रुपये के अर्थदंड,** अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 3/5 उ0प्र0 विधि वि0 धर्म परिवर्तन अधि0 में 03 वर्ष के कारावास की सजा व 25000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.सोनू उर्फ मुनव्वर पुत्र रूकमदीन निवासी मौहल्ला आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI